सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2024/258 दर्ज तिथिः– 02.07.2024

1. जोगाराम पुत्र केसराराम
2. रावताराम पुत्र केसराराम,
   जाति जाट साकिन पनोणी धतवालो की ढाणी, सडेचा तहसील नोखडा

....................प्रार्थी

बनाम

1. कला पुत्र मंगला
2. केसा पुत्र सालू
3. चेना पुत्र सालू
4. चौथा पुत्र सालू
5. जोगाराम पुत्र हबताराम
6. ताजा पुत्र मंगला
7. तारा पुत्र खेता फौत कायम मुकाम
   7/1 मांगाराम पुत्र ताराराम
8. नगा पुत्र गुणेशा
9. पदमा पुत्र गुणेशा
10. बींजा पुत्र मंगजा
11. भारू पुत्र सालू फौत कायम मुकाम
    11/1 मोहनीदेवी पत्नी भारूराम
    11/2 कृष्ण कुमार पुत्र भारूराम
    11/3 गोदूराम पुत्र भारूराम
    11/4 मुकेश पुत्र भारूराम
12. रमेश पुत्र मंगला
13. लूणाराम पुत्र हबताराम
14. शंकरा पुत्र सालू फौत कायम मुकाम
    14/1 धाई पत्नी शंकरा
    14/2 मोहन पुत्र शंकरा
    14/3 हरचन्दराम पुत्र शंकरा
    जाति भील साकिन पनोणी धतरवालो की ढाणी, सडेचा तहसील नोखडा
15. फूआराम पुत्र आदूराम
16. गोरधनराम पुत्र रणछाराम
17. बाबूराम पुत्र रणछाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 12:03:03 IST
Reason: SelfAttested

जाति जाट साकिन पनोणी धतरवालो की ढाणी, सडेचा तहसील नोखडा

18. चूनाराम पुत्र उमाराम
19. धनाराम पुत्र उमाराम
20. पूनमाराम पुत्र उमाराम
21. रूपाराम पुत्र उमाराम
22. सुरताराम पुत्र उदाराम
23. गुमनाराम पुत्र गोरधनराम
24. जेठाराम पुत्र गोरधनराम
25. नीम्बाराम पुत्र केसराराम
26. भोमाराम पुत्र गोरधनराम
27. रामाराम पुत्र अणदाराम
28. लच्छाराम पुत्र गोरधनराम
29. लिछमीदेवी पत्नी गोरधनराम
30. सादुलाराम फौत कायम मुकाम
    30 / 1 भोमाराम पुत्र सादुलाराम
    30 / 2 भेराराम पुत्र सादूलाराम
    30 / 3 नेनूदेवी पत्नी सादूलाराम
31. आदा पुत्र भगा
32. गुमना पुत्र खुमा
33. पेमा पुत्र खुमा
34. मगा पुत्र खुमा
35. माना पुत्र खुमा
36. रूपा पुत्र भगा
37. राजू पुत्र खुमा
38. तुलछाराम पुत्र डालूराम
39. नीम्बाराम पुत्र डालूराम
40. अनीता पुत्री वालाराम
41. अमरू पुत्र खीयाराम
42. कमला पुत्री खीयाराम

नाबालिग प्रतिवादी संख्या 43, 47, 52, 64 की वली माता पेमी देवी

43. कानाराम पुत्र पनाराम
44. कानाराम पुत्र रेखाराम
45. किशनाराम पुत्र वालाराम नाबालिग की वली माता भीखी देवी
46. खेतु पुत्री खीयाराम
47. गुमनाराम पुत्र लालाराम
48. चनणी देवी पत्नी पनाराम
49. जगदीश पुत्र विशनाराम उर्फ वेहनाराम
50. जालाराम पुत्र हुकमाराम
51. दूदाराम पुत्र खीयाराम
52. देवाराम पुत्र हुकमाराम
53. नानगाराम पुत्र विशनाराम उर्फ वेहनाराम
54. पदमाराम पुत्र रेखाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 12:03:03 IST
Reason: SelfAttested

55. पपूराम पुत्र वालाराम
56. पेमीदेवी पत्नी खीयाराम
57. फुसाराम पुत्र हुकमाराम
58. भीखीदेवी पत्नी वालाराम
59. मालुदेवी पत्नी विशनाराम उर्फ वेहनाराम
60. रामाराम पुत्र विशनाराम उर्फ वेहनाराम
61. रामाराम पुत्र लालाराम
62. रामाराम पुत्र खीयाराम
63. सुनिता पुत्री खीयाराम
64. अमरूदेवी पत्नी देवाराम
65. आईदानराम पुत्र किसनाराम
66. गोसाईराम पुत्र देवाराम
67. पताराम पुत्र किसनाराम
68. पोकरराम पुत्र किसनराम
69. हीराराम पुत्र किसनाराम

जाति जाट साकिन पनोणी धतरवालो की ढाणी तहसील नोखडा जिला बाडमेर राजस्थान।

.............असल विप्रार्थी

70. सहायक अभियंता पी.डबल्यु. डी. सार्वजनिक निर्माक विभाग वृत आडेल तहसील नोखडा जिला बाडमेर।
71. तहसीलदार — नोखडा जिला बाडमेर।

..........................तकमील विप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री ठाकराराम
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 19.09.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 209 / 0.1052 है0, 210 / 16.0587 है0, 210 / 2 / 5.3394 है0 232 / 3.9479 है0, 235 / 6.3911 है0 वाके ग्राम पनोणी धतरवालों की ढाणी तहसील नोखडा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुड़ामालानी के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 12:03:03 IST
Reason: SelfAttested

नोखडा के आदेश की पालना में दिनांक 08.03.2024 को पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढ़ी दिनांक 08.03.2024 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में तहसीलदार नोखडा को पत्र द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में पटवारी हल्का ने को मौके पर जाकर निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक दिनांक 08.03.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.***
>
> ***(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.***

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 12:03:03 IST
Reason: SelfAttested

की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes. - All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:***
>
> ***Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.***

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार नोखडा द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक दिनांक 08.03.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार नोखडा के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 209/0.1052 है0, 210/16.0587 है0, 210/2/5.3394 है0 232/3.9479 है0, 235/6.3911 है0 वाके ग्राम पनोणी धतरवालों की ढाणी तहसील नोखडा पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कर सीमा निर्धारण किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखडा को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 12:03:03 IST
Reason: SelfAttested

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार नोखडा को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 19.09.2024 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 12:03:03 IST
Reason: SelfAttested